डाक्युमेंट्री बदल रही है सरकारी नीतियां

आम लोगों की जीविका के संघर्ष को सिनेमा के पर्दे पर उकेरने वाले एशिया लाइवलीहुड डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल का असर अब सरकारी नीतियों पर भी दिखने लगा है. बांस कारीगरों और रेहड़ी पटरी वालों के हक में बनने वाले कानून इसकी बानगी हैं. अनिल पांडेय की रिपोर्ट...

(बाएं ऊपर से नीचे): द रैट रेस का एक दृश्य, जहर में जिंदगी: सिटीज एज का एक दृश्य
(दाएं ऊपर से नीचे): सुभाई घई से पुरस्कार लेतीं द रैट रेस की निर्देशक मरीयम, द लास्ट पेज का दृश्य

यह आम डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल सरीखा नहीं था. यह एक ऐसा डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल था, जिसकी विषयवस्तु के केंद्र में था- समाज के हाशिए पर खड़े देशभर के करोड़ों लोगों की जीविका से जुड़े मुद्दे. रोटी और रोजगार के लिए लोग किस तरह का संघर्ष कर रहे हैं यह दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित नौवें एशिया लाइवलीहुड डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई चुनिंदा 18 फिल्मों में बखूबी देखने को मिला. सेंटर फॉर सिविल सोसायटी की ओर से आयोजित तीन दिवसीय इस डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में वे मुद्दे उठाए गए, जिन्हें मीडिया को उठाना चाहिए था. दरअसल, इस फेस्टिवल का उद्देश्य भी यही है कि डाक्यूमेंट्री के माध्यम से जीविका से जुड़ी आम लोगों की दिक्कतों को नागरिक समाज और नीति-नियंताओं तक पहुंचाया जाए, ताकि वे उन समस्याओं के समाधान का कोई रास्ता निकाल पाएं.

जीविका कैंपेन के नेशनल कोआर्डिनेटर अमित चंद्रा कहते हैं, 'मीडिया ने आम जनता से जुड़े मुद्दों से किनारा कर लिया है. ऐसे में आम लोगों की जीविका से जुड़ी समस्याओं को आवाज देने के लिए ही इस फेस्टिवेल का आयोजन किया जाता है.'

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी *(सीसीएस)* हाशिए पर खड़े लोगों के हित में किस तरह से नीतियां बनें, इसके लिए काम करता है. इसके लिए वह समाज के प्रबुद्ध लोगों और कानून व नीति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नौकरशाहों व राजनीतिज्ञों को जनोपयोगी नीतियां बनाने के लिए न केवल सलाह देता है, बल्कि दबाव समूह के रूप में भी काम करता है. इसके लिए सीसीएस ने जीविका कैंपेन नाम से एक अभियान भी चला रखा है. इस फिल्म फेस्टिवल के लिए ऑनलाइन प्रविष्टियां आमंत्रित की गई थीं. प्राप्त प्रविष्टियों की विषेशज्ञों के समक्ष हुई स्क्रीनिंग के बाद 60 डाक्यूमेंट्री फिल्मों को प्रतियोगिता के लिए योग्य पाया गया. इसके बाद 18 फिल्मों को जनता के समक्ष प्रदर्शन के लिए चुना गया. इन फिल्मों की प्रदर्शनी के दौरान चार सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का चयन किया किया. प्रोफेशनल, फॉरेन, जनरल और स्टूडेंट कैटेगरी के तहत चार उत्कृष्ट डाक्यूमेंट्री फिल्मों को सीसीएस की ओर से 60 हजार, 40 हजार, 30 हजार व 20 हजार की धनराशि बतौर पुरस्कार भी प्रदान की गई. प्रदर्शन के बाद 'आई वाज बॉर्न इन डेल्ही', 'शिफ्टिंग अंडरकरंट' व 'वी आर फुट सोल्जर्स' को प्रथम, द्वितीय व तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया. बेस्ट स्टूडेंट डाक्युमेंट्री वर्ग के तहत 'डायमंड बैंड' फिल्म को पुरस्कृत किया गया, जबकि 'द रैट रेस', 'सायकिल ऑफ लाइफ' व 'हाइड अंडर माय सोल' नामक फिल्मों को 'स्पेशल मेंशन' विशेष पुरस्कार से नवाजा गया. विजेताओं को बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्माता-निर्देशक सुभाष घई द्वारा सम्मानित भी किया गया. बॉलीवुड में 'शो मैन' के नाम से मशहूर सुभाष घई ने भी इस मौके पर डाक्युमेंट्री फिल्मों को अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम बताते हुए कहा, 'जो मुद्दे मीडिया तक नहीं पहुंच पाते डाक्युमेंट्री फिल्में उन्हें प्रभावी तरीके से लोगों तक पहुंचाती हैं.'

'आजीविका का संघर्ष' नाम से आयोजित इस डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में जिन फिल्मों की स्क्रीनिंग हुई उनमें 'हू किल्ड ची', 'ऑल राइज फॉर योर ऑनर', 'बायसाइकिल जर्नी', 'वी आर फुट सोल्जर्स' 'वर्ल्डस मोस्ट फैशनेबल प्रीजन', 'द लास्ट पेज', 'सायकिल ऑफ लाइफ', 'ब्रेकिंग मुंबई', 'हाइड अंडर माय सोल', 'आई वाज बोर्न इन डेल्ही', 'ब्रेकिंग द सायलेंस', 'द रैट रेस', 'दिल्ली', 'सिटी एज' आदि मुख्य रूप से शामिल रहीं. इन फिल्मों में देश के बड़े तबके द्वारा जीविकोपार्जन के दौरान उठाई जाने वाली तकलीफों और जन विरोधी सरकारी नीतियों को बयां किया गया है.

'दिल्ली' को ही लीजिए. इस डाक्यूमेंट्री में दिल्ली में आने वाले प्रवासी मजदूरों की पीड़ा को मार्मिक तरीके से दर्शाया गया है. फिल्म बताती है कि दिल्ली को सुंदर बनाने के नाम पर किस तरह से स्लम में रहने वाले लोगों के आशियाने के तोड़ कर उन्हें खदेड़ा जा रहा है. तो 'सीटीज एज' में महाराष्ट्र के देवनार डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा बीनकर जिंदगी बसर करने वालों की व्यथा है. डंपिंग ग्राउंड में कूड़ा बीन रहे दो मासूम बच्चों पर कैमरे के फोकस ने यह बता दिया की इन बच्चों की जिंदगी 'जहर' से खेल रही है.

फेस्टिवल में केरल के मल्लापुरम जिले के निलांबर जंगलों में रहने वाले लुप्तप्राय जंगली 'चोलनायक' आदिवासी समुदाय की त्रासदी पर आधारित डाक्युमेंट्री 'द लास्ट पेज' में यह दिखाया गया है कि दबंगों और साधन संपन्न पुरुषों द्वारा डरा-धमकाकर दैहिक शोषण के चलते इस समुदाय के लोग जवान होने से पहले ही अपनी बेटियों की नसबंदी करा रहे हैं. दैहिक शोषण के चलते युवतियां गर्भवती हो जाती हैं और बिन ब्याही मां बनने को मजबूर हो जाती हैं तो 'द रैट रेस' मुंबई महानगर पालिका *(मनपा)* में दिहाड़ी पर काम करने वाले चूहामारों की जिंदगी पर आधारित है. कॉलेज के छात्र से लेकर पुणे विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र में एमए करने वाला व्यक्ति अभाव और बेरोगारी की वजह से चूहे मारने का काम कने को मजबूर हैं. मुंबई में चूहों की अधिकाधिक संख्या आम लोगों का जीना दूभर किए हुए हैं.

मनपा के ये अस्थाई कर्मचारी रातभर टार्च लेकर चूहों की तलाश कर उन्हें डंडे से मारते हैं. उन्हें प्रतिदिन कम से कम 30 चूहे मारने होते हैं, तभी उन्हें दिहाड़ी मिलती है.

नौ साल पहले शुरू हुए इस डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल अब सरकार की नीतियों को प्रभावित भी करने लगा है. अमित चंद्रा के मुताबिक, 'इस डाक्यूमेंट्री फेस्टिवेल से जनमुद्दों को लेकर एक माहौल बनता है. फेस्टिवल मे पुरस्कृत डाक्यूमेंट्री को हम छात्रों, नेताओ, नीति-निर्माताओं और बुद्धिजीवीयों को दिखाते हैं, इससे सरकार पर दवाब बनता है और वह जन आकांक्षाओं के अनुरूप अपनी नीति में बदलाव करती है.' 2009 के डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टिवल में बांस कारीगरों की समस्याओं पर पर आधारित 'हॉलो सिलेंडर' नामक एक डाक्युमेंट्री दिखाई गई थी. इसका व्यापक असर रहा.

अमित कहते हैं, 'हमने इसे कुछ सांसदों और तब के पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश को दिखाई थी. जिसके बाद तय हुआ की बांस को 'पेड़' की श्रेणी से हटा कर 'घास' की श्रेणी में रखा जाए. दरअसल, वन कानूनों के मुताबिक पेड़ को आप काट नहीं सकते जबकि घास का दोहन कर सकते हैं. फिलहाल, इस आधार पर बांस की कटाई गैरकानूनी है. जबकि बांस पर देश के लाखों आदिवासियों की जीविका निर्भर है. वन और पर्यावरण मंत्रालय बांस को घास की श्रेणी में शामिल करने पर सहमत हो गया है और जल्दी ही इस बाबत कानून में संशोधन कर दिया जाएगा.' इसी तरह से रेहड़ी पटरी वालों को भी समस्याओं से निजात दिलाने के लिए भी सरकार कानून बना रही है. सरकारी नीतियों में बदलाव इस डाक्यूमेंट्री फिल्म फेस्टीवल की सार्थकता को साबित करता है.